न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 श्रीमती देवी पत्नी शंकरलाल		1 गोमा पुत्र मोतीजी जाति मेघवाल निवासी भांवरी तहसील पिण्डवाड़ा
2 श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी चुन्नीलाल		2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा
3 बाबूलाल पुत्र वगताजी जातिगण कलबी निवासीगण भावरी तहसील पिण्डवाड़ा		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री पी0के0 दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.1.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2013 बअनवान गोमा बनाम देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.003.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा भावरी के खसरा नम्बर 1868 की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1867 में से आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

कर रास्ते का अनुतोष प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, वह रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, जो इस धारा के तहत रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकृत ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जब मौका रिपोर्ट तैयार की गई, तब पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कोई नोटिस ही नहीं दिया गया एवं न ही किसी प्रकार की सूचना प्रदान की गई। अपीलाण्ट की आराजी का कुछ भाग आबादी में रूपान्तरित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की आबादी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। इसके बाद उस आदेश को रिव्यू करते हुए पुनः अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से ही दूसरी दिशा से रास्ते का अनुतोष प्रदान किया। जिस रास्ते का अनुतोष दिया गया है, वह अधिक दूरी का है, जबकि विधि में निकटतम मार्ग प्रदान किया जाना आज्ञापक हैं। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय त्रुटीपूर्ण पाया जाता हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिस मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है, वह तहसीलदार की उपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, जिस पर संदेह का कोई कारण नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को रास्ते की सुविधा से महरूम करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1867 में से रेस्पोडेन्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा को निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह जाहिर किया कि प्रार्थीया द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है, उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के खेत तक जाने हेतु नहीं है। वांछित रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि 3 बिस्वा होना बताया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 1867 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 3 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने बाबत उज्र करने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2014 को रिव्यू करते हुए पुनः मौका निरीक्षण करवाए बगैर दिनांक 14.03.2015 को जैर अपील आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 1867 की दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे 3 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिए जाने के आदेश पारित किए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर जांच एवं उस पर टिप्पणी को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार पिण्डवाडा की रिपोर्ट को आधार मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की भूमि में से दो बार रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किए गए। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिस रास्ते हेतु पहुंच मार्ग का प्रदान कराने का निवेदन किया था, वह खसरा नम्बर 1867 की दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ते हेतु था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खसरा नम्बर 1867 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ते का अनुतोष दिया गया हैं, जो विधि सम्मत नहीं है तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 06.05.2014 को रिव्यू करने के पश्चात किसी प्रकार का मौका निरीक्षण किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका निरीक्षण के आदेश दिए गए थे, जबकि प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर आई है, उसमें तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट को अग्रेसित किया है, जबकि पटवारी हल्का इस धारा के तहत मौका निरीक्षण हेतु अधिकृत नहीं हैं। जैर अपील वादस्थ भूमि एवं वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता सम्बन्धी तथ्य रेकर्ड पर लाने हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जांच करवाई जानी आवश्यक थी, जिससे प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण हो पाता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की हो। हालांकि धारा 251ए के तहत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अनपाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करने के प्रावधान है, किन्तु संक्षिप्त प्रक्रिया की आड़ में इस धारा की मूल मंशा को अनदेखा किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2013 बअनवान गोमा बनाम देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.003.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही